पत्रांक –सं0सं0–02/उ0नि0/विविध (VAT)/14–11/2017............

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:– **पंकज कुमार सिंह,**
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

वाणिज्य–कर आयुक्त –सह– प्रधान सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय:– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न ईकाइयों को वैट प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1511 दिनांक–25.05.17 की कंडिका–5 के आलोक में वैट प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुलग्नक–I में ईकाइयों की सूची संलग्न है। आवंटनादेश संख्या–12/आ0 दिनांक–29.05.2017 के आलोक में वैट की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए कर की रेकर्ड (record) से जाँच कर एवं पूर्व में की गई प्रतिपूर्त्ति की जाँच वाणिज्य–कर विभाग द्वारा की जाएगी। भुगतान किए गए कर के जाँचोपरान्त निर्धारित अधिसीमा के अंतर्गत वैट प्रतिपूर्त्ति की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

(ii) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए Advance tax पर वैट प्रतिपूर्त्ति का भुगतान देय नहीं होगा। Advance tax का सामंजन बकाये कर के विरूद्ध करने के पश्चात् जो वास्तविक कर का भुगतान होगा उसी के विरूद्ध ही प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य होगा।

(iii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूल कर ली जाएगी।

(iv) वैट प्रतिपूर्त्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की सूचना अविलंब विभाग को दी जाएगी ताकि उद्योग विभाग का अभिलेख अद्यतन रखा जा सके।

(v) उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1511, दिनांक–25.05.2017 एवं आवंटनादेश संख्या–12/आ0 दिनांक–29.05.2017 के आलोक में तथा दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

अनुलग्नक : यथोपरि।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

कृ0प0उ0

Vishwanath section-2

ज्ञापांक– 2080 पटना, दिनांक 07/07/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2080 पटना, दिनांक 07/07/2017

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित महाप्रबंधक / संबंधित ईकाइयों / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना